राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 17(9)खा.वि./न्याय/2012--II   जयपुर, दिनांक 24.08.2020

संशोधित आदेश

राज्य के जिलों में जिला रसद अधिकारियों द्वारा उचित मूल्य दुकानों को बिना किसी गम्भीर अनियमितताएं पाये ही निलम्बित किया जाकर उनका अटैचमेंट अन्य दुकानों से किया जाना, एक उचित मूल्य दुकान पर एक से अधिक उचित मूल्य दुकानों को अटैचमेन्ट किए जाने, 3 किमी. से अधिक दूरी पर अटैचमेन्ट होने, अटैचमेन्ट अधिक आवंटन वाली दुकान से होने संबंधी तथ्य संज्ञान में आयें है। ऐसी स्थिति सम्पूर्ण राज्य मे भी हो सकती है। अतः इस सम्बन्ध में जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 13.06.2019 को अतिक्रमित करते हुए निम्न निर्देश दिये जाते हैं :–

1. जिलों मे उचित मूल्य दुकानों का निलम्बन तथा अटैचमेंट पूर्ण जांच के पश्चात ही गम्भीर अनियमितताएं पाये जाने जैसी विशेष परिस्थितियों में ही किया जावे।
2. जिला कलक्टर की अनुमति के बिना किसी भी उचित मूल्य दुकान के अटैचमेंट आदेश जारी नहीं किए जावें तथा अटैचमेंट केवल ऑनलाईन ही किया जावे। जिला रसद अधिकारी निलम्बन/अटैचमेन्ट को विभाग के पोर्टल पर 24 घण्टें के अन्दर अपलोड करें। यह अनिवार्य होगा।
3. किन्ही कारणवश उचित मूल्य दुकानों के अटैचमेन्ट की स्थिति में जिला रसद अधिकारी यथासम्भव उचित मूल्य दुकान का अटैचमेन्ट शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड के अन्दर एवं ग्रामीण क्षेत्र में उसी गांव/ग्राम पंचायत के अन्दर करें।
4. जिला रसद अधिकारी उचित मूल्य दुकानों को 3 किलो मीटर से अधिक दूर वाली उचित मूल्य दुकान पर अटैच नही करें।
5. उचित मूल्य दुकान का अटैचमेन्ट 6 माह से अधिक नही हो। अटैचमेन्ट 6 माह से अधिक अवधि का होने की स्थिति में उसकी समीक्षा करें एवं अटैचमेन्ट लगातार 1 वर्ष से अधिक की अवधि का होने पर संबंधित जिला कलक्टर के समक्ष कारण सहित ग्रामीण क्षेत्र का तहसीलवार एवं नगरीय क्षेत्रों का वार्डवार Status प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही जिला कलक्टर से पुनः अनुमोदन प्राप्त कर अवधि बढ़ाए एवं वस्तुस्थिति की एक प्रति खाद्य विभाग मुख्यालय पर शासन सचिव (खाद्य) एवं उपायुक्त (प्रथम) को भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. जिला रसद अधिकारी कार्यरत उचित मूल्य दुकानदार को पाबन्द करें कि वह अटैच्ड उचित मूल्य दुकान का पोस कोड एवं राशनकार्ड की संख्या एवं यूनिट इत्यादि उसकी दुकान के प्रदर्शक पर प्रदर्शित करें। साथ ही निलम्बित उचित मूल्य दुकानदार को उस उचित मूल्य दुकान की पोस मशीन, अटैच्ड उचित मूल्य दुकानदार को सुपूर्द करने हेतु भी पाबन्द करें।
7. माह सितम्बर, 2018 से सप्लाई चैन व्यवस्था के तहत जिलेवार एवं उचित मूल्य दुकानवार ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत खाद्यान्न आवंटन किया जा रहा है, जिसके तहत उचित मूल्य दुकान पर मैप राशनकार्डों की संख्या के आधार पर निर्धारित मापदण्डानुसार राशन सामग्री का आवंटन प्राप्त होता है। उक्त क्रम में निलम्बित उचित मूल्य दुकान का अटैचमेन्ट कम आवंटन (शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड के अन्दर एवं ग्रामीण क्षेत्र में उसी गांव/ग्राम पंचायत के अन्दर जिसमें सबसे कम आवंटन प्राप्त उचित मूल्य दुकान) प्राप्त करने वाली उचित मूल्य दुकान पर ही किया जावे। यह राशन डीलरों के लिए आर्थिक रूप से मददगार साबित होगी।

8. जिला रसद अधिकारी यह सुनिश्चत करें कि जिले में किसी भी उचित मूल्य दुकान पर एक से अधिक उचित मूल्य दुकान को सम्बद्ध (अटैच) नही किया जाये। अगर किन्ही कारणों से उक्त रीति का अटैचमेन्ट करना पडे तो कारण सहित पत्रावली संबंधित जिला कलक्टर को प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त कर तत्पश्चात अटैचमेन्ट आदेश जारी करें।
9. जिला रसद अधिकारी सुनिश्चित करें कि यह आदेश जारी होने से पूर्व की निलम्बित उचित मूल्य दुकानों के अटैचमेन्ट के संबंध में बिन्दु संख्या 1–8 में अंकित निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

अतः निर्देशित किया जाता है, कि उक्त निर्देशों की पालना पूर्णरूपेण सुनिश्चित की जावे। यदि अपरिहार्य परिस्थितिवश उक्त निर्देशों में किसी तरह की शिथिलन की आवश्यकता हो तो कारणों सहित अपना स्पष्ट प्रस्ताव विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

Gera 24/8/2020

(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव (खाद्य)

क्रमांक एफ 17(9)खा.वि./न्याय/2012–II जयपुर, दिनांक 24.08.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय सचिवालय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
3. समस्त जिला प्रभारी मंत्री, राजस्थान।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. समस्त जिला प्रभारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
6. निजी सचिव, शासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान।
7. सभांगीय आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलेक्टर्स, राजस्थान।
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. खाद्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. एनालिस्ट कम प्रौग्रामर, खाद्य विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है की आदेश का पोर्टल पर अपलोड़ करें।
11. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
12. समस्त अधिकारी खाद्य विभाग, जयपुर।
13. सार्वजनिक वितरण प्रणाली शाखा, खाद्य विभाग, जयपुर।
14. रक्षा पत्रिका।

(अशोक कुमार सांखला)
उपायुक्त (प्रथम)